खाद्य तथा रसद विभाग द्वारा सार्वजानिक वितरण प्रणाली में सुधार हेतु उठाये गए कदम

1. **एफ0पी0एस0 ऑटोमेशन :–**

   - प्रदेश के समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र की समस्त उचित दर दुकानों में ई–पॉस स्थापित कर उनके माध्यम से लाभार्थियों को आधार प्रमाणीकरण द्वारा आवश्यक वस्तु वितरण कराया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत समस्त ट्रॉंजेक्शन ऑनलाइन सम्पादित होते हैं एवं सम्बन्धित रिपोर्ट रियल टाइम अद्यतन रहती है। रिपोर्ट को खाद्य विभाग की वेबसाइट **fcs.up.gov.in** पर उपलब्ध **सिस्टम इण्टीग्रेटर डैशबोर्ड (खाद्यान्न वितरण)** लिंक (http://fcs.up.gov.in/Important/POS.aspx) पर जाकर नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्र में किए जा रहे वितरण को देखा जा सकता है।
   - माह जून, 2019 में नगरीय क्षेत्र में 93.79 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्र में 89.16 प्रतिशत आधार आधारित वितरण ई–पॉस के माध्यम से कराया गया है।
   - **ई–पॉस मशीनों से सब्सिडी बचत :–** नगरीय क्षेत्रों में ई–पॉस वितरण से प्रत्येक माह औसतन रू0 20 करोड़ एवं ग्रामीण क्षेत्रों में औसतन रू0 100 करोड़ से अधिक की सब्सिडी बचत हो रही है।

2. **आधार फीडिंग एवं वेलिडेशन :–** प्रदेश स्तर पर राशनकार्ड मुखिया स्तर पर 99.29 प्रतिशत व्यक्तियों की एवं समस्त परिवार सदस्यों के स्तर पर 96.35 प्रतिशत सदस्यों की आधार फीडिंग का कार्य किया जा चुका है। इसी प्रकार यू0आई0डी0 ए0आई0 से आधार वेलिडेशन में राशनकार्ड मुखिया के स्तर पर 85.01 प्रतिशत एवं समस्त परिवार सदस्य स्तर पर 89.45 प्रतिशत व्यक्तियों का आधार वेलिडेशन कार्य पूर्ण हो गया है।

3. **राशनकार्ड पोर्टेबिलिटी** सुविधा को प्रदेश के 05 जनपदों – लखनऊ, कानपुर नगर, वाराणसी, गोरखपुर एवं बाराबंकी के नगरीय क्षेत्र में लागू की गयी है, जिससे लाभार्थी अपने राशनकार्ड पर अपने जनपद के नगरीय क्षेत्र की किसी भी मनचाही उचित दर दुकान से खाद्यान्न प्राप्त कर सकेगा। शीघ्र ही यह सुविधा सम्पूर्ण प्रदेश में लागू कर दी जाएगी। दिनांक 16.07.2019 तक 10,019 लाभार्थियों ने उक्त सुविधा का उपयोग कर राशन प्राप्त किया।

4. **अत्यन्त सुविधाजनक कॉल सेन्टर एवं शिकायत निवारण प्रणाली** टॉल फ्री नम्बर 1800–180–0150 एवं 1967 संचालित है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश का खाद्य एवं रसद विभाग, राष्ट्र का प्रथम विभाग बन गया है, जिसका कॉल सेन्टर IVRS पर आधारित है। आम जनता खाद्य विभाग की शिकायत निवारण प्रणाली की वेबसाइट **https://cms.up.gov.in** पर जाकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकता है तथा उसके निस्तारण की स्थिति भी देख सकता है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सीएम हेल्पलाइन नंबर 1076 पर तथा **http://jansunwai.up.nic.in** पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

5. **सप्लाई चेन मैनेजमेंट :–** राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के अन्तर्गत खाद्यान्न के उठान/वितरण की व्यवस्था हेतु कम्प्यूटरीकृत सप्लाई चेन मैनेजमेन्ट प्रणाली संचालित है। भारतीय खाद्य निगम डिपो से खाद्यान्न का उठान होने से लेकर उचित दर विक्रेता द्वारा लाभार्थियों को खाद्यान्न का वितरण करने तक समस्त प्रक्रिया पारदर्शी रूप से ऑनलाइन रहती है। उक्त रिपोर्ट को खाद्य विभाग की वेबसाइट **fcs.up.gov.in** के **सप्लाई चेन सारांश** लिंक (http://scm.up.gov.in/Food/R_Admin/Public/Allocation_Complete_Districtwise_New.aspx) पर उपलब्ध है।

6. जन सामान्य को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में समस्त आवश्यक जानकारी सुलभ कराने के उद्देश्य से अपने राशनकार्ड पर आहरित राशन, गोदाम पर खाद्यान्न की उपलब्धता, खाद्यान्नों का परिवहन आदि समस्त विवरण पब्लिक डोमेन (**fcs.up.gov.in**) पर भी उपलब्ध कराए गए हैं।

7. कोटेदारों को खाद्यान्न का निर्गमन करते वक्त जन प्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों एवं संबंधित दुकान के लाभार्थियों में से रेण्डम आधार पर चिन्हित 5 से 10 लाभार्थियों को एस0एम0एस0 के माध्यम से सूचनाएं भेजी जा रही हैं।

8. प्रदेश के 17,000 से अधिक निःशक्तजनों को उनके आवास पर ही खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाने की सुविधा विभाग द्वारा प्रदान की जा रही है।

9. विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड से अनुबन्ध कर ई–पॉस मशीनों द्वारा स्थानीय **बिजली के बिल जमा कराने की व्यवस्था** संचालित की गयी है। उक्त मूल्य संवर्धन सुविधा से आम जनमानस को सुविधा प्राप्त होने के साथ–साथ उचित दर विक्रेताओं की आय में वृद्धि हो रही है।